वेबसाइट हेतु

म.प्र.लोक सेवा आयोग से वर्ष 2017 में चयनित स्नातक (MBBS) चिकित्सकों की ऑनलाईन पदस्थापना हेतु पंजीयन/च्वॉइस फिलिंग सूचना एवं दिशा–निर्देश

—0—

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में चयनित स्नातक (MBBS) चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन पंजीयन एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट (www.mponline.gov.in) अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से दिनांक 30.06.2017 (सांय 07:00) से दिनांक 05.07.2017 (रात्रि 12:00) तक की गई एवं च्वॉइस फिलिंग दो (भागों प्रथम चरण में वरियता 01 से 350 तथा द्वितीय चरण में 351 से 726 तक) में प्रथम चरण की च्वॉइस फिलिंग दिनांक 07.07.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 10.07.2017 (रात्रि 12:00) तक एवं द्वितीय चरण की च्वॉइस फिलिंग दिनांक 13.07.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 16.07.2017 (रात्रि 12:00) तक आयोजित की जाने की सूचना दी गई है।

इस संबध में सूचित किया जाता है कि च्वॉइस फिलिंग के साथ–साथ ऐसे चिकित्सक जिनके द्वारा किन्ही कारणो से पंजीयन नही कराया जा सका है वे उपरोक्तानुसार पंजीयन एवं प्रथम चरण की च्वॉइस फिलिंग एक साथ करा सकेंगे। शेष दिशा–निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

आदेशानुसार
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

वेबसाइट हेतु

म.प्र.लोक सेवा आयोग से वर्ष 2017 में चयनित स्नातक (MBBS) चिकित्सकों की ऑनलाईन पदस्थापना हेतु पंजीयन/च्वॉइस फिलिंग सूचना एवं दिशा–निर्देश

1.	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 में चयनित चिकित्सकों की पदस्थापना हेतु ऑनलाईन पंजीयन एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट (**www.mponline.gov.in**) अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से दिनांक 30.06.2017 (सांय 07:00) से दिनांक 05.07.2017 (रात्रि 12:00) तक किया जावेगा। यह पंजीयन केवल स्नातक (MBBS) चिकित्सकों के लिये है। पी.जी. योग्यताधारी (डिग्री/डिप्लोमा) चिकित्सकों की दिनांक 03.07.2017 को ऑफ–लाईन काउंसलिंग की जावेगी जिसके दिशा–निर्देश पृथक से पोर्टल पर दिये जा रहे हैं।
2.	च्वॉइस फिलिंग दो भागों में की जावेगी प्रथम चरण में वरियता 01 से 350 तथा द्वितीय चरण में 351 से 726 तक। पति–पत्नि के एक ही जिले के विकल्प की स्थिति में नीचे की वरीयता को विचार में लिया जावेगा यदि नीचे की वरीयता द्वितीय चरण में आती हो तो च्वाईस–फिलिंग का विकल्प द्वितीय चरण में ही लिया जा सकेगा।
3.	स्नातक (MBBS) चिकित्सकों के पंजीयन उपरांत प्रथम चरण की च्वॉइस फिलिंग दिनांक 07.07.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 10.07.2017 (रात्रि 12:00) तक एवं द्वितीय चरण की च्वॉइस फिलिंग दिनांक 13.07.2017 (दोपहर 12:00) से दिनांक 16.07.2017 (रात्रि 12:00) तक आयोजित की जावेगी। प्रथम चरण की च्वॉइस फिलिंग उपरांत संस्था आबंटन का कार्य किया जावेगा एवं आबंटित संस्थाओं की रिक्तियों को कम करते हुए शेष रिक्त स्थानो हेतु द्वितीय चरण की काउंसलिंग की जावेगी।
4.	चिकित्सकों को ऑनलाईन पंजीकरण एवं स्थान चयन (च्वॉइस फिलिंग) हेतु एम.पी. ऑनलाईन अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क को कोई भुगतान नही किया जाना है।काउंसलिंग ब्यय का भुगतान मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जावेगा।
5.	शासकीय सेवा हेतु चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये व्यावसायिक अवरोध क्षतिपूरक भत्ते का प्रावधान सामान्य एवं अधिसूचित क्षेत्रों में पृथक–पृथक रखा गया है तथा प्रदेश के 89 आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने पर सेवारत अभ्यर्थी के रूप में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिभार अंकों की पात्रता होगी।
6.	सम्पूर्ण ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर स्थान चयन करने के पश्चात् कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
7.	ऑनलाईन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर या प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये एम.पी.ऑनलाईन के हेल्प डेस्क नंबर 0755–4019400 पर संपर्क कर सकते हैं। सुविधा की द्वष्टि से एम.पी.ऑनलाईन की लिंक नीचे दी जा रही है।

आदेशानुसार
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश